न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 115/20 निर्णय दिनांकः 11.05.2023
(जीसीएमएस संख्या 2020/00106)

1. महावीर सिंह पुत्र धन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी धोधलिया तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 19–07–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 19–07–1984 जिसके द्वारा अपीलांट् को गजट में प्रकाशित भूमि एवं पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील छत्तरगढ़ के चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 209/12 के किला न म्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 14 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 189/21 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 25 में 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 28 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनाक 19–07–1984 को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट् को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि अपीलांट् को आवंटित भूमि पूर्व से ही गजट में विज्ञापित व पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा न तो आज दिनांक तक अपीलांट् को अन्य भूमि का आवंटन किया गया नाही अपीलांट् के पूर्व के आवंटन को खारिज किया गया है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही गजट में प्रकाशित एवं अन्य को आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सत्यमेव जयते, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के चक 4 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 209/12 के किला न म्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 14 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 189/21 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 25 में 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 28 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी।

(2) जहॉं तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहॉं यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् को गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन होना साबित है। अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो खारिज कर किया गया नाही आवंटित भूमि की एवज में अन्य भूमि प्रदान नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–07–1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11/5/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/5/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर